WINERY POLICY

309
28/01/13

संयुक्त आयुक्त

# उत्तराखण्ड शासन
## आबकारी अनुभाग
संख्या 57/XXIII/2013/04(54)/2012
देहरादूनः दिनांकः 23 जनवरी, 2013

24/1/13
(दिलीप जावलकर)
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन्, 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य में फल आधारित उद्योगों हेतु विन्टनरी स्थापित किये जाने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है :–

1. विन्टनरी की स्थापना हेतु अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए वी–1 अनुज्ञापन शुल्क ₹ 5,000/– होगा।
2. वाईन बनाने हेतु दिये जाने वाले वी–2 अनुज्ञापन के लिए शुल्क ₹ 5,000/होगा।
3. विन्टनरी निर्माण (वी–1) लाइसेन्स प्रदान करने हेतु अनुज्ञापन निर्गत करने की समय सीमा आवेदन किये जाने की तिथि से 30 दिन होगी।
4. प्रबलीकरण (Fortification) हेतु मिश्रित करने वाली स्प्रिट या ब्राण्डी विन्टनरी परिसर के बाहर से आयात न कर उक्त न्यूट्रल स्प्रिट/वाईन का सम्बन्धित विन्टनरी परिसर में ही उत्पादन कर उपयोग किया जायेगा।
5. विन्टनरी में नियुक्त आबकारी विभाग के कार्मिकों के कुल देय, विन्टनरी द्वारा राज्य में की गयी कुल निकासी पर देय आबकारी राजस्व के 10 प्रतिशत से अधिक होने पर उक्त अतिरिक्त धनराशि विन्टनरी द्वारा दिये जाने की व्यवस्था में शिथिलता देते हुये विन्टनरी की स्थापना के वर्ष से आगामी 10 वर्षों तक छूट प्रदान की जायेगी।
6. उत्तराखण्ड राज्य में विन्टनरी हेतु एफ0 एल0–03 अनुज्ञापन शुल्क न्यूनतम ₹ 10,000/– के अधीन रहते हुए, एक वर्ष या उसके भाग के लिए बाटलिंग फीस निम्नलिखित धारिता की बोतलों में निम्नलिखित दर से उद्गृहीत की जायेगी :–

| धारिता | | बाटलिंग फीस |
|---|---|---|
| 750 ml | - | ₹ 0.50 |
| 375 ml | - | ₹ 0.25 |
| 180 ml | - | ₹ 0.15 |
| 90 ml | - | ₹ 0.10 |
| 50 ml | - | ₹ 0.05 |

7. उत्तराखण्ड राज्य में विन्टनरी हेतु एफ0 एल0–01 अनुज्ञापन शुल्क ₹ 10,000/– प्रति वर्ष या वर्ष के भाग के लिए होगा।

8. उत्तराखण्ड राज्य में निर्मित वाईन हेतु एफ0 एल0–02 डब्लू अनुज्ञापन शुल्क ₹ 10,000/– होगा एवं एफ0 एल0–2 अनुज्ञापन पर ली जाने वाली लाईसेंस फीस एक्स वाईनरी प्राइज की 2 प्रतिशत होगी।

9. उत्तराखण्ड राज्य में निर्मित वाईन हेतु एक्साइज ड्यूटी ₹ 5 प्रति बल्क ली०, निर्यात शुल्क ₹ 0.05 प्रति बल्क ली० व मूल्यवर्धित कर (वैट) 5 प्रतिशत होगा।

10. उत्तराखण्ड राज्य में वाईन उद्योग को बढ़ावा दिये जाने हेतु रिटेल काउण्टर खोलने की वर्तमान व्यवस्था को अधिक सुगम किये जाने हेतु विन्टनरी अनुज्ञापी को उसकी मांग के अनुसार प्रत्येक जनपद में उत्तराखण्ड राज्य में निर्मित वाईन के फुटकर अनुज्ञापन तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर, जिसकी ग्रोसिरी की वार्षिक बिक्री का टर्नओवर ₹ 5,00,000/– से ऊपर है तथा वह व्यापार कर विभाग में रजिस्टर्ड हो, को वाईन की बिक्री के अनुज्ञापन जिलाधिकारी के स्तर से स्वीकृत किये जायेंगे। ऐसे अनुज्ञापनों की लाईसेन्स फीस ₹ 5,000/– वर्ष या वर्ष के भाग के लिये होगी तथा यह भी प्रतिबन्ध होगा कि उपरोक्त दोनों प्रकार के अनुज्ञापनों में केवल सील बन्द बोतलों की बिक्री ही अनुमन्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त सैनिक कल्याण विश्राम गृह, उत्तराखण्ड राज्य सरकार के उपक्रम यथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम जो कि पर्यटन व्यवसाय से जुडे है, को इनके बिक्री केन्द्रों (Souvenir Shops) में सील बन्द बोतलों में तथा अपने पर्यटक आवास गृह से उत्तराखण्ड में निर्मित वाइन की बिक्री हेतु ₹5,000/– प्रतिवर्ष या वर्ष के भाग के लिए अनुज्ञापन शुल्क पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्त वर्णित सैनिक कल्याण विश्राम गृह एवं पर्यटक आवास गृह के लिए ₹ 5,00,000/–मात्र की वार्षिक बिक्री के टर्नओवर का प्रतिबन्ध लागू नही होगा।

फुटकर दुकानों (वाईन) के निर्धारण में दुकानों की संख्या व स्थित नियमावली,1968 तत्सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या–311/XXIII/2008/18 2008/देहरादून, दिनांकः 16.6.2008 तथा तत्समय लागू समस्त नीति/नियम का पालन करना बाध्यकारी होगा।

विन्टनरी उद्योग की स्थापना मद्य निषेध क्षेत्रों में नहीं की जायेगी।

विन्टनरी परिसर में वाइन टूरिज्म को बढ़ावा दिये जाने हेतु विन्टनर के आवेदन पर वाईन की सील बन्द बोतलों की बिक्री तथा पिलाये जाने की सुविधा जिलाधिकारी द्वारा दी जायेगी तथा उक्त हेतु अनुज्ञापन शुल्क ₹ 10,000/–वर्ष या वर्ष के भाग के लिए देय होगा।

11. उत्तराखण्ड राज्य में विनिर्मित वाईन पर लेबल रजिस्ट्रेशन फीस ₹ 100/–होगी। वाईन की बोतलों में लगाये जाने वाला लेबल उत्तर प्रदेश बॉटलिंग ऑफ फॉरन लिकर रूल्स–1969 में दी गयी व्यवस्था तथा इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–434/देहरादून, दिनांकः 19.4.2001 के अनुसार होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त वाईन की बोतलों के लेबल पर "फल का नाम" (जिससे वाईन निर्मित हुयी हो) व "उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित फलों से विनिर्मित" का अंकन होना अनिवार्य होगा।

क्रमशः.....3

12. उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित वाईन पर असेस्मेन्ट शुल्क ₹ 1/–प्रति (750 एम0एल0 मानक) बोतल देय होगा ।

13. उपरोक्त प्रस्तावित शुल्क/टैक्स आगामी 5 वर्ष हेतु निर्धारित है, इस समयावधि के भीतर उपरोक्त प्रस्तावित शुल्क/टैक्स अपरिवर्तनीय रहेंगे, तथा विन्टनरी नीति उक्त सीमा तक आबकारी नीति वर्ष, 2012–13 के प्राविधानों को अतिक्रमित करेगी।

14. पर्वतीय क्षेत्रों में विन्टनरी उद्योग को बढावा दिये जाने हेतु प्रस्तावित नीति में उल्लिखित शुल्क/फीस में (वैट एवं एक्साइज ड्यूटी को छोडकर) 50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। पर्वतीय क्षेत्रों का निर्धारण पर्वतीय उद्योग नीति के अनुसार होगा।

15. विन्टनरी उद्योग हेतु खाद्य प्रसंस्करण, उद्यान व उद्योग विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा जारी समस्त योजनाएं उत्तराखण्ड के विन्टनर्स के लिए अनुमन्य होंगी, साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में विन्टनरी उद्योग को बढ़ावा दिये जाने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों हेतु लागू उद्योग नीति के अनुरूप सुविधाएं अनुमन्य होंगी

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या 57 (i)/XXIII/2012/04(54)/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी जनपद–हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन, 4–सुभाष रोड़ देहरादून तथा 100 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी विभाग
संख्या 983/XXIII/2012/04(55)/2012
देहरादूनः दिनांक: 24 दिसम्बर, 2012

# अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की आबकारी नीति 2012–13 के बिन्दु 33(ख) को स्पष्ट करते हुए बाटलिंग प्लांट की स्थापना हेतु निम्नलिखित नियम बनाते है :–

**1. एफ0एल0एम0–1 प्रपत्र :–**

एफ0एल0एम0–1 प्रपत्र पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को आवेदन करेगा। आवेदक, आवेदन पत्र के साथ परियोजना आख्या (Project Report), नील पत्रों की तीन प्रतियाँ, जिसमें भवनों की अवस्थिति, बाटलिंग प्लान्ट के लिये आवश्यक मशीनरी की अवस्थिति व वैट तथा वेयर हाउसों की अवस्थिति का स्पष्ट अंकन होगा, भूमि की उपयोगिता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा तथा अन्य अनापत्ति प्रमाण–पत्र जो उद्योग लगाने हेतु अनिवार्य है भी संलग्न करने होंगे।

**2. एफ0एल0एम0–01 अनुज्ञापन हेतु शुल्क का निर्धारण :–**

एफ0 एल0 एम0–01 प्रपत्र पर आवेदन शुल्क के रूप में ₹ 15000/– का चालान आवेदक को उक्त प्रपत्र के साथ जमा कराना होगा।

**3. पात्रता की शर्तें :–**

आवेदक आसवनी के लिए एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित पात्रता की शर्तें पूरी करना अनिवार्य होगा ।

(i) आवेदक, आसवनी को आवेदन की तिथि से पाँच वर्ष पूर्व संस्थापित होना चाहिए।
(ii) आवेदक आसवनी कम से कम तीन राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश में अपने ब्राण्ड्स की बिक्री करता हो।
(iii) आवेदक आसवनी का विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष उत्पादन दो लाख पेटियां हो
**नोटः–** बिन्दु संख्या (i), (ii) एवं (iii) के सत्यापन हेतु आसवनी में नियुक्त सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(iv) आवेदनकर्ता आसवनी और उसके द्वारा नामित व्यक्ति/कम्पनी उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी प्रकार के राजस्व का बकायेदार नहीं होना चाहिए।
(v) आवेदक आसवनी या उसके द्वारा नामित व्यक्ति/कम्पनी लागू उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 आबकारी नियमों के तहत अनुज्ञापन हेतु विवर्जित नहीं होना चाहिए।

उत्तराखण्ड शासन की आबकारी नीति, 2002–2003, दिनांकः 24 अप्रैल 2002 के बिन्दु–1(ख) में अधिसूचित मद्यनिषेध क्षेत्रों में बाटलिंग प्लान्ट हेतु किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

**एफ0एल0 एम0–02 प्रपत्र :–**

आवेदक आसवनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा परिक्षणोपरांत अपनी संस्तुति आबकारी आयुक्त को प्रेषित की जायेगी। आबकारी आयुक्त द्वारा अपनी संस्तुति शासन को अन्तिम निर्णय हेतु प्रेषित की जायेगी, शासन की संस्तुति प्राप्त होने पश्चात आवेदक को एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन निर्गत किया जायेगा, जिसकी वैधता अवधि उक्त अनुज्ञापन को निर्गत करने की तिथि से 01 वर्ष की होगी।

**5. एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन हेतु शुल्क का निर्धारण :–**

एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन शुल्क ₹ 2 लाख होगा। आवेदक द्वारा उक्त शुल्क एन0एस0सी0 के रूप में आबकारी आयुक्त के पदनाम से प्रतिश्रुत किया जायेगा। निर्धारित समयावधि में आवेदक, आसवनी द्वारा बाटलिंग प्लांट की स्थापना न कर पाने की स्थिति में उक्त प्रतिभूति की धनराशि को सरकार के पक्ष में जब्त करने का पूर्ण अधिकार आबकारी आयुक्त को होगा। निर्धारित समयावधि से अधिक समय की मांग किये जाने पर आवेदक द्वारा पुनः सम्पूर्ण धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी। एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन को जनहित में निरस्त करने का अधिकार आबकारी आयुक्त को होगा, किन्तु इस प्रकार एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन निरस्त करने से पूर्व एफ0एल0एम–2 अनुज्ञापी को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जायेगा। ऐसे निरस्त एफ0एल0एम0–02 को हुयी हानि का कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा, ना ही एफ0एल0एम–02 अनुज्ञापन शुल्क वापस किया जायेगा।

**6. एफ0एल0 एम0–03 प्रपत्र :–**

आवेदक, आसवनी द्वारा बाटलिंग प्लान्ट की स्थापना पूर्ण होने के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त को सूचित किया जायेगा। एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापी द्वारा विनिर्माणशाला (Manufactory) की स्थापना हेतु बाटलिंग मशीन, वैट, पाईप लाईन्स, वेयर हाउस, व अन्य आवश्यक संसाधन, नील पत्रों के अनुसार स्थापित किये जाने की जांच एक तकनीकी समिति द्वारा की जायेगी, जिसका गठन आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा, उक्त के पश्चात आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञापी को विनिर्माणशाला (Manufactory) में कार्य करने हेतु एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापन शुल्क जमा करने के पश्चात उस वित्तीय वर्ष हेतु एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापन जारी किया जायेगा। अन्य सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने पर एफ0 एल0 एम0–03 अनुज्ञापन का नवीनीकरण आबकारी आयुक्त द्वारा प्रतिवर्ष अग्रिम अनुज्ञापन शुल्क जमा करने के पश्चात् किया जायेगा।

**7. एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापन हेतु अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण :–**

(i) एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापन हेतु अनुज्ञापन शुल्क वर्ष या वर्ष के भाग के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अधिष्ठापित क्षमता के आधार पर सम्बन्धित वर्ष की आबकारी नीति के अनुरूप अग्रिम रूप से जमा करायी जायेगी।

(ii) अधिष्ठापित क्षमता के निर्धारण का अधिकार शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त को होगा।

एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापी को मात्र उन्हीं ब्राण्डों की बाटलिंग का अधिकार प्राप्त होगा, जिन ब्राण्डों का उत्पादन एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापी आसवक द्वारा अपनी आसवनी में किया जा रहा हो।

(iv) एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापी बिना आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति के भवन के बाहर स्थित अथवा भवन के अन्दर स्थित बाटलिंग–मशीन, वेट, पाईप लाईसेन्स व अन्य संसाधनों की अवस्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे।

(v) एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापी अपने अनुज्ञापन को ना बिक्री कर सकेगा, ना बन्धक रखेगा ना ही किसी के नाम स्थानान्तरित करेगा, ना ही किराये पर देगा और ना ही साझेदारी में रखेगा।

(vi) एफ0एल0एम0–03 अनुज्ञापन उत्तर प्रदेश बाटलिंग नियमावली–1969, उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम–1910 उत्तराखण्ड राज्य के शासन के आदेशों तथा आबकारी आयुक्त के निर्देशों के अन्तर्गत कार्य करेंगे।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या 983(i)/XXIII/2012/04(55)/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी जनपद–हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन, 4–सुभाष रोड़ देहरादून तथा 100 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त शासनादेश को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव